| | | |
|---|---|---|
| (b) possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7). | | |

[F. No. DFSS/38(2)/2016]

NARENDER KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2020

**सा.का.नि.08.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, अनुसचिवीय (ग्रूप -ख पद) भर्ती नियम 1976, जहाँ तक उनका संबंध श्रेणी I आशुलिपिक (ज्येष्ठ वैयक्तिक सहायक) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय एवं इसकी बाहरी इकाइयो में निजी सचिव, समूह ख पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, अनुसचिवीय (समूह -ख पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगें।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनूसुची में स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि .—** उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनूसुची के स्तंभ (5) से (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता .—** वह व्यक्ति ,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या ,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति ओर विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति .—**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति** .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए, आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

**अनुसूची**

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतन मैट्रिक्स में स्तर | चयन या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| निजी सचिव | 01* ( 2020)<br>*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अनुसचिवीय | वेतन मैट्रिक्स में स्तर.-7 (44900-142400/- रु) | चयन | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | **भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | प्रोन्नति द्वारा |

| प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| आशुलिपिक ग्रेड I जिन्हांने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35400-112400/- रु) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् पाँच वर्ष की सेवा की है ।<br>**टिप्पण :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हों, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । | **समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिल कर बनेगी:-**<br>1) निदेशक, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - अध्यक्ष;<br>2) उप-निदेशक, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य ;<br>3) गृह मंत्रालय का एक अधिकारी जो भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से कम न हो - सदस्य | संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है । |

[फा.सं. डीएफएसएस/38(02)/2013]

नरेंद्र कुमार, अवर सच

New Delhi, the 17th January, 2020

**G.S.R. 08** .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Bureau of Police Research and Development Ministerial (Group B) Posts Recruitment Rules, 1976 in so far as they relate to the post of Grade I Stenographer (Senior Personal Assistant), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the post of Private Secretary in the Directorate of Forensic Science Services under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.-**

   (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services, Ministerial (Group 'B' post) Recruitment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.-** The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualification; etc.-** The method of recruitment, age-limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.-** No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.-** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of post | Number of post | Classification | Level in the pay matrix | Whether selection post or non-selection post | Age-limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Private Secretary | 01* (2020) *Subject to variation dependent on workload. | General Central Service, Group 'B' Gazetted, Ministerial . | Level 7 in the pay matrix Rs. 44900-142400/-. | Selection | Not applicable |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any | Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods |
|---|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) | (10) |
| Not applicable | Not applicable | Not applicable | By promotion |

| In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Commission to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| **Promotion:**<br>Stenographers Grade I in level 6 in the pay matrix Rs. 35400-112400/- with five years regular service in the grade.<br>**Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. | **Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-**<br>1) Director, Central Forensic Science Laboratories, Directorate of Forensic Science Services – Chairman;<br>2) Deputy Director, Central Forensic Science Laboratories, Directorate of Forensic Science Services – Member;<br>3) An Officer from Ministry of Home Affairs, not below the rank of Under Secretary to the Government of India – Member. | Consultation with Union Public Service Commission not necessary. |

[F. No. DFSS/38(02)/2013]

NARENDER KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2020

**सा.का.नि.09.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम 1975 को, जहाँ तक उनका संबंध आशुलिपिक ग्रेड.2 के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय में आशुलिपिक ग्रेड.2 के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—

   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय (आशुलिपिक ग्रेड-2, वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 2020 है।

   (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगें।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपबद्ध अनूसुची में स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

| In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Commission to be consulted in making recruitment |
|---|---|---|
| (11) | (12) | (13) |
| **Promotion:**<br>Stenographers Grade I in level 6 in the pay matrix Rs. 35400-112400/- with five years regular service in the grade.<br>**Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. | **Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of :-**<br>1) Director, Central Forensic Science Laboratories, Directorate of Forensic Science Services – Chairman;<br>2) Deputy Director, Central Forensic Science Laboratories, Directorate of Forensic Science Services – Member;<br>3) An Officer from Ministry of Home Affairs, not below the rank of Under Secretary to the Government of India – Member. | Consultation with Union Public Service Commission not necessary. |

[F. No. DFSS/38(02)/2013]

NARENDER KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2020

**सा.का.नि.09.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (वर्ग 3 पद) भर्ती नियम 1975 को, जहाँ तक उनका संबंध आशुलिपिक ग्रेड.2 के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय में आशुलिपिक ग्रेड.2 के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय (आशुलिपिक ग्रेड-2, वर्ग 3 पद) भर्ती नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होगें।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपबद्ध अनूसुची में स्तम्भ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।